जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2018/5908 दिनांकः 03/11/18

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म0प्र0)

विषयः- महाविद्यालयों में यूथ रेडक्रास विंग का गठन करने वावत्।

सन्दर्भः-1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. के आदेश क्रमांक 322/418/आ.उ.शि./अप्र./09 भोपाल दिनांक- 24.03.2009।

2. चैयरमैन, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी,म.प्र.राज्य शाखा ,भोपाल के पत्र क्रमांक/आईआर सीएस/ 2018/ 632 दिनांक- 06.09.2018।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्रो के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि जिन शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों मे यूथ रेडक्रास विंग का गठन अभी तक नहीं किया गया है। वह आपने महाविद्यालयों में यूथ रेडक्रास विंग का गठन करे एवं यूथ रेडक्रास शुल्क स्नातक स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों से रू. 3/-प्रतिमाह और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों से रू. 5/- प्रतिमाह प्राप्त कर शुल्क की 30 प्रतिशत राशि सचिव, भारतीय रेडक्रास सोसायटी,म.प्र. राज्य शाखा,शिवाजी नगर,भोपाल के नाम से बैंक ड्राफ्ट भेजे एवं राशि को राज्य मुख्यालय रेडक्रास सोसायटी,शिवाजी नगर,भोपाल में नगद भी जमा कर सकते है।

आगामी सत्र से प्रत्येक महाविद्यालय रू. 250/- (रू.दो सौ पचास)जमा कर यूथ विंग का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

डायरेक्टर
महाविद्यालयीन विकास परिषद

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 322/418/आउशि/अ0प्र0/09 9525 31-3-09 भोपाल, दिनांक-- 24.3.09

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
म0प्र0।

विषय:--महाविद्यालयों में यूथ रेडकास विंग का गठन।

संदर्भ:--इंडियन रेड क्रास सोसायटी, म0प्र0 शाखा से आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्राप्त पत्र क. आईआरसीएस/1230/09, दिनांक 12.3.09 एवं कार्यालय आयुक्त का पत्र क. 333/418/आउशि/अ.प्र./08, दिनांक 1.10.08

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि सभी महाविद्यालयों ने रेडकास इकाई का गठन कर लिया गया होगा। यूथ रेडकास की गतिविधियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिये प्रतिमाह प्रतिछात्र स्नातक स्तर के लिये रू. 3/ एवं स्नातकोत्तर स्तर के लिये रू. 5/- प्राप्त कर शुल्क की 30 प्रतिशत राशि सचिव, भारतीय रेडकास सोसायटी राज्य शाखा,भोपाल को भेजी जाए एवं शेष 70 प्रतिशत राशि महाविद्यालयों में पृथक से यूथ रेडकास के लिये बैंक में जमा होगी। आगामी सत्र की महाविद्यालय की विवरणिका में इसका उल्लेख करें। जिन महाविद्यालयों ने अभी तक इकाई का गठन नहीं किया है वे इकाई गठन सुनिश्चित करें।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक 323/आउशि/अ0प्र0/09 भोपाल, दिनांक-- 24.3.09

प्रतिलिपि:--

1. निज सहायक, सचिव,उच्च शिक्षा,मंत्रालय,भोपाल।
2. अध्यक्ष, म0प्र0 युवक रेडकास सोसायटी, शिवाजी नगर,भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, म0प्र0।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

21/5/14